रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2001/अग्रहायण 15, 1923

No. 887] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2001/AGRAHAYANA 15, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2001

का.आ. 1196(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मैतई एक्स्ट्रीमिस्ट आर्गेनाइजेशन आफ मणिपुर को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्द्वारा, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री ए.डी. सिंह की अध्यक्षता में एक "विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण" का गठन करती है।

[फा. सं. 8/22/2001-एन ई. I]

सुरेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2001

S.O. 1196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes "The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal" consisting of Shri Justice A.D. Singh, Judge of Delhi High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause of declaring the Meitei Extremist Organisations of Manipur as unlawful associations.

[F No. 8/22/2001-NE.I]

SURENDRA KUMAR, Jt.Secy.

3746 GI/2001

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.